UPBG010010562026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या-01, बागपत।

उपस्थित : पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे० ओ० कोड नं० यू० पी० 6104

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 368/2026

प्रदीप उर्फ सोनू पुत्र सुमेर, निवासी ग्राम चांदनहेडी, थाना छपरौली, जनपद बागपत।

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य .....अभियोजक।

दिनांकः 06-03-2026

आदेश

1- प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप उर्फ सोनू** की ओर से मु०अ०सं० 719/2025, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बड़ौत, जनपद बागपत में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से **स्वयं का शपथपत्र** इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.11.2025 से जिला कारागार, बागपत में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट निलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की चोरी से सम्बन्धित सामान की बरामदगी नहीं हुई है। गिरफ्तारी स्थल एक सार्वजनिक रास्ता है, फिर भी कोई स्वतन्त्र गवाह दर्शित नहीं किया गया है। सभी गवाहान पुलिस वाले हैं तथा एक ही थाने के हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी गलत तरीके से दर्शायी गयी है। उक्त अभियोग में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आरोपित सभी धाराएँ मान्य अवर न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। उपरोक्त अभियोग में सह-अभियुक्त सद्दाम की जमानत पूर्व में दिनांक 22.12.2025 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत मान्य अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2026 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है जिसका कोई पैरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मेहरदीन ने थाना बड़ौत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.11.2025 को इस आशय के साथ दर्ज करायी कि प्रार्थी मेहरदीन पुत्र हमीद निवासी कोकब विहार गोल मस्जिद बीस फुटा रोड बड़ौत का रहने वाला है दिनांक 09.11.2025 समय 02:30 बजे के लगभग वह अपने भतीजे को साथ लेकर अपनी बाइक पैशन प्रो कलर ब्लैक नम्बर UP 17 M 7364 से छपरौली चुग्गी शुभांगी मैरिज होम में खाना खाने आया था शादी में बाइक बाहर खड़ी करके अन्दर खाना खाने चला गया। आकर देखा तो बाइक वहाँ नहीं थी। काफी तलाश किया कुछ पता नहीं चला। उपरोक्त के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.03.06 17:15:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। तथाकतिथ घटना के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी भी नहीं है, जो साक्षी दर्ज हैं, वे हितबद्ध साक्षी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त से झूठी व फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है तथा बरादमगी के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी भी दर्शित नहीं किया गया है। मामले में सह-अभियुक्त सद्दाम पुत्र गुलशेर की जमानत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त भी समानता के आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित उक्त अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा मेहरदीन की बाइक पैशन प्रो कलर ब्लैक नम्बर UP 17 M 7364 चोरी करने का आरोप लगाया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। दौराने विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उक्त मामले में प्रकाश में आया है। सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, उसमें किसी भी मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्शित नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले में अन्य सह-अभियुक्त सददाम की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22-12-2025 को अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में दिनांक 11-11-2025 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप उर्फ सोनू** की ओर से मु०अ०सं० 719/2025, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बड़ौत, जनपद बागपत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 20,000/-(बीस हजार) रुपये** का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित अण्डटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जायेः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

<u>दिनांकः 06-03-2026</u>

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या-01, बागपत।